उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.uk.gov.in

पत्रांक 4793 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ दिनांक 16/10/2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2024–25 के लिए तदर्थ अनुग्रह धनराशि [Adhoc Ex-gratia] के भुगतान की निम्नांकित प्रतिबन्धों सहित एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1– तदर्थ अनुग्रह धनराशि की सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों जिनके पुनरीक्षित सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान में ₹ 4600/–ग्रेड पे (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8) तक है, को ही अनुमन्य होगी। अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 6500–11000 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हे समयबद्ध वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप में अनुमन्य हुआ है और उनकी प्रास्थिति [Status] में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।

2– उक्त धनराशि के भुगतान की सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2025 को नियमित सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक न्यूनतम छः माह की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा की हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः माह से पूरे एक वर्ष तक अनवरत सेवावधि के लिए पात्र कर्मचारियों को अनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी। वित्तीय वर्ष के मध्य माहों में सेवानिवृत्त/मृत होने वाले कर्मचारियों द्वारा इस अवधि में उनके द्वारा की गई सेवा को आधार मानकर उन्हें/उनके उत्तराधिकारी को अनुग्रह धनराशि के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

3– तदर्थ अनुग्रह की अधिकतम देय धनराशि ₹ 7000/– प्रतिमाह की परिलब्धियॉ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉ ₹ 7000/– से अधिक थी, उनके लिए तदर्थ अनुग्रह राशि का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉ ₹ 7000/– प्रतिमाह है।

4– उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियॉ का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम–9(21) (1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं महंगाई भत्ते से होगा।

5– मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, उत्तराखण्ड विकास भत्ता, विशेष भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नही किया जायेगा।

6– ₹ 7000/– प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च, 2025 को ग्राहय परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में ₹ 7,000X30/30.4 = ₹ 6,907.89 (₹ 6,908/–में पूर्णांकित) होगी।

7– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए किया जायेगा ।

8– कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2025 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष तक निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामलों में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियॉ ₹ 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह धनराशि भी देय धनराशि ₹ 1200X30/30.4 = 1184.21 अर्थात ₹ 1184/– पूर्णांकित होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉ ₹ 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

क्रमश.....02

9– ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2024–25 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा। साथ ही प्रवंचन (Fraud) अथवा विभाग के परिसर में उपद्रव अथवा हिसांत्मक आचरण अथवा चोरी, कारपोरेशन के धन का दुरूपयोग या कारपोरेशन की सम्पत्ति की तोड़–फोड़ के आरोपों में लिप्त कर्मचारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि पाने के हकदार नहीं होंगे।

10– किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

11– तदर्थ बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों को मानदेय केवल महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्यों के लिये ही दिया जायेगा।

12– अवैतनिक अवकाश के मामलों को छोड़कर, अन्य प्रकार के अवकाशों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए आगणित किया जायेगा।

13– लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलम्बित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। ऐसा कार्मिक यदि निलम्बन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा।

14– इस आदेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि का कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जायेगा ।

15– तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकार पत्र [Letter Of Authority] निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी और निगम के उक्त आदेश के आधार पर ही इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राहय होगा ।

16– तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान कारपोरेशन के चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के नामे डाला जायेगा ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 4793 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/ तद्दिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन, देहरादून।
2– समस्त निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन, देहरादून।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1/2), उ0पा0का0लि0, ...।
4– समस्त महाप्रबन्धक, उ0पा0का0लि0, ...।
5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, ...।
6– समस्त उपमहाप्रबन्धक(वित्त), उ0पा0का0लि0,.....।
7– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0पा0का0लि0,.....।
8– अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रोद्योगिकी), उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन, देहरादून।
9– कार्यालय ज्ञाप/कट फाइल।

[डॉ0 आर0 जे0 मलिक]
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)